

**छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर**

क्रमांक एफ 3-84/2003/खनिज,

रायपुर, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला बस्तर (छ.ग.)

विषय: जिला बस्तर, तहसील नारायणपुर के ग्राम छोटे डोंगर के वन कम्पार्टमेंट नंबर 252, 267, 268, 269 का रकबा 57.00 हे. क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क के पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति श्री वजरंग मेटालिक्स प्रा.लि. के पक्ष में स्वीकृत किये जाने बाबत ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक खनिज/एम.एल. -16/03/446/2003, दिनांक 2.8.2003

जिला बस्तर तहसील नारायणपुर के ग्राम छोटेडोंगर के आवेदित वन कम्पार्टमेंट नं. 252, 267, 268, 269 रकबा 57.00 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क के पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति हेतु श्री वजरंग मेटालिक्स प्रा.लि. के आवेदन पत्र दिनांक 3.7.2002 पर विचार करते हुए पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

क्र०	आवेदक का नाम	को-आर्डिनेट्स			वन कम्पार्टमेंट	स्वीकृत रकबा हेक्टर
		पाइंट	अक्षांश	देशांश		
1	श्री वजरंग मेटालिक्स प्रा.लि.	A	19°24'43.9"	81°16'58.6"	252, 267, 268 एवं 269	57.00 (को-आर्डिनेट्स के मध्य आने वाला क्षेत्र)
		B	19°24'51.4"	81°17'12.5"		
		C	19°24'20.4"	81°17'31.9"		
		D	19°24'12.5"	81°17'17.8"		

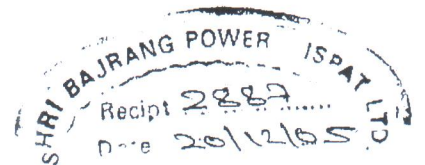
2/ उक्त आवेदन पत्र का परीक्षण किया जाकर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत भारत सरकार, खान मंत्रालय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव इस विभाग के पत्र दिनांक 29.3.2004 से प्रेषित किया गया ।

3/ भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.8.2004 से आवेदक कंपनी के पक्ष में ग्राम छोटेडोंगर के वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268, 269 रकबा 57.00 हेक्टर क्षेत्र पर 02 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है ।

D:\MRD\Doc\Net_9.1.03.doc

Shri Bajrang Power & Ispat Ltd

Director/Authorized Signatory



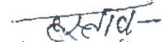
4/ अतः राज्य शासन द्वारा आवेदक कंपनी को नीचे दर्शाये विवरण एवं शर्तों पर पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. आवेदक का नाम एवं पता — मेसर्स श्री बजरंग मेटालिक्स प्रा. लि.
521 उरला औद्योगिक क्षेत्र रायपुर
2. स्वीकृत क्षेत्र का विवरण —

जिला	तहसील	ग्राम	वन कक्षा क्रमांक	रकबा
बस्तर	नारायणपुर	छोटेडोंगर	252, 267, 268, 269	57.00 हे०
3. खनिज का नाम — लौह अयस्क
4. पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति की अवधि 02 वर्ष (बिना नवकरण कंडिका के)
5. थियोडोलाइट से सर्वेक्षण यदि आवश्यक हो तो किया जाये ।
6. मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर के पत्र क्रमांक 11/भू-प्रबंध/खनिज/1536, दिनांक 16.6.2005 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत खनिज लौह अयस्क के पूर्वक्षणा अनुज्ञप्ति हेतु जारी शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाए ।
7. पूर्वक्षणा कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार जो भी अनुमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता हो, तत्संबंधी अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाए ।

5/ यदि आवेदक को उपरोक्त शर्तें मान्य हो तो नियमानुसार जमानत राशि जमा कराकर आदेश प्राप्त होने के तीन माह के भीतर अनुबंध का निष्पादन किया जाकर अनुबंध की एक प्रति इस विभाग को भेजी जाए ।

अनुबंध निष्पादन पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदक पर कोई खनिज राजस्व की राशि बकाया तो नहीं है ।

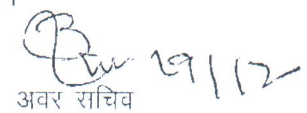

(ए.के. आर्य)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

रायपुर, दिनांक 13-12-2005

क्रमांक एफ 3-84/2003/12/2,
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, की ओर पत्र क्र 5(26)/2004-खान एवं क्रमांक 5(27)/2004-खान दिनांक 31.8.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
 2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, सोनाखान भवन, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
 3. कंट्रोलर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर (महाराष्ट्र)
 4. डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी, धनबाद (बिहार)
 5. मेसर्स श्री बजरंग मेटालिक्स प्रा. लि. 521 उरला, औद्योगिक क्षेत्र रायपुर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

Shri Bajrang Metals & Minerals Ltd.

Director/Authorized Signatory